No.I.27011/2/2016-Coord.

Government of India Ministry of Corporate Affairs

New Delhi-110001 Dated: 13th October, 2016

A copy of the Monthly Summary of the Ministry of Corporate Affairs for the month of September, 2016 is enclosed for information.

(Kshitish Kumar) Under Secretary to the Government of India Tel.No.2338 4502

Encl. As above.

All Members of the Council of Ministers

Copy, with enclosures, forwarded to:

- 1 Secretary to the President of India, Rashtrapati Bhawan, New Delhi
- 2. Secretary to the Vice- President of India, Cabinet Secretariat, New Delhi.
- 3 The Principal Director General, Ministry of I & B, Shastri Bhawan, New Delhi
- 4. Secretary, Deptt. of Telecommunications, Sanchar Bhawan, New Delhi
- 5. Secretary, Deptt. of Higher Education, Shastri Bhawan, New Delhi
- 6. Secretary, Deptt. of Statistics, Sardar Patel Bhawan, New Delhi
- 7. Secretary, Legislative Deptt., Shastri Bhawan, New Delhi
- 8. Secretary, Deptt. of Scientific & Industrial Research, C.S.I.R Building, Rafi Marg, New Delhi
- 9. Secretary, Ministry of Environment & Forest, Paryavaran Bhawan, New Delhi
- 10. Secretary, Ministry of Urban Development, Nirman Bhawan, New Delhi
- 11. Secretary, Deptt. of Revenue, North Block, New Delhi
- 12. Secretary, Deptt. of Industrial Development, Udyog Bhawan, New Delhi
- 13. Secretary, Deptt. of Defence Production & Supplies, South Block, New Delhi
- 14. Secretary, Deptt. of Legal Affairs, Shastri Bhawan, New Delhi

Copy to:

- (i) Economic Advisor, MCA
- (ii) PSO to Secretary, Ministry of Corporate Affairs
- (iii) PPS to Additional Secretary, Ministry of Corporate Affairs

Copy, also to: Dir (AK) - To upload the communication on official website of the MCA - under the caption "Monthly Summary of the Ministry of Corporate Affairs for the month of September, 2016"

(Kshitish Kumar)

Under Secretary to the Government of India

851/DIMAK).

2010/100 CTA(20)

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

IMPORTANT POLICY DECISIONS TAKEN AND MAJOR ACHIEVEMENTS DURING THE MONTH OF SEPTEMBER, 2016

(I) Circulars: -

No circular was issued during the month of September, 2016.

(II) Notifications:-

- (i) The Ministry vide notification no. G.S.R. 2843(E), dated 01.09.2016 has notified certain designated Special Courts with the concurrence of the Chief Justice of the High Courts of Chhattisgarh, Rajasthan, Punjab and Haryana, Madras and Manipur, for providing speedy trial of offences punishable with imprisonment of two years or more under the Companies Act, 2013.
- (ii) The Ministry vide Notification No. S. O. 2922(E), dated 12.09.2016, has amended part II, Section-II, Schedule V of the Companies Act, 2013 which deals with remuneration payable 5to the managerial personnel by companies having no profit or inadequate profit without Central Government approval. Vide this amendment, the remunerations that may be paid by such companies to its managerial personnel have been doubled. Further, managerial personnel who are functioning in a professional capacity have been allowed to be remunerated without any limit subject to certain conditions.
- (iii) The Ministry vide notification No. G.S.R. 908(E), dated 23.09.2016 has amended the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 to provide for transfer of particulars available in register of members maintained under the Companies Act, 1956 to the new register of members in form no. MGT-1. Further, clarity has been brought about with regard to obligation of listed companies for reporting changes in the position of the promoters and top ten shareholders. Now, an Extraordinary General Meeting called by requisitionists can be held on any day except a national holiday.

Moreover, every listed company and every company having not less than 1000 members is now required to provide to its members the facility of exercising their voting rights by electronic means, with carve outs for Nidhi Companies and companies referred to in chapter XB and XC of SEBI (ICDR) Regulations, 2009.

- (iv) The Companies (Mediation and Conciliation) Rules, 2016 were issued under section 442 of the Companies Act, 2013 on 9th September, 2016. These rules provide for the creation and maintenance of Mediation and Conciliation Panel by Regional Directors as well as the manner in which Mediator and Conciliators may be appointed for facilitating mediation/conciliation at any stage during the proceedings before Central Government, National Company Law Tribunal (NCLT) or National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) under the Companies Act, 2013.
- (v) A Notification was issued on 9th September, 2016 for commencement of section 227, part of section 242, section 246 and sections 337-341 (to the extent of their applicability for section 246) with effect from 9th September, 2016. These provisions seek to confer certain powers on NCLT which would enable it to adjudicate more effectively the matters under its jurisdiction under provisions of Companies Act, 2013 brought into force on 1st June, 2016.
- (vi) A Notification was issued on 5th September, 2016 for commencement of section 124 (Unpaid Dividend Account) and part of section 125 (Investor Education and Protection (IEPF) Fund) alongwith IEPF (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 with effect from 7th September, 2016. With the commencement of these provisions alongwith relevant rules, the provisions of the Companies Act, 2013 would enable refund of the claims out of IEPF to eligible claimants.

सं. आई-27011/2/2016-समन्वय भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110001

तारीखः

अक्तूबर, 2016

कारपोरेट कार्य मंत्रालय के सितंबर, 2016 के मासिक सार की प्रति सूचना हेत् संलग्न है।

(क्षितीश कुमार)

भारत सरकार का अवर सचिव

द्रभाषः 2338 4502

संलग्नः उपरोक्तान्सार मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य

प्रतिलिपि, संलग्नक सहित, निम्नलिखित को प्रेषित-

- 1. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
- 2. भारत के उप राष्ट्रपति के सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली
- 3. प्रधान महानिदेशक, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
- सचिव, दुरसंचार विभाग, संचार भवन, नई दिल्ली
- सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
- सचिव, सांख्यिकी विभाग, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली
- सचिव, विधायी विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
- सचिव, वैज्ञानिक एवं औदयोगिक अनुसंधान विभाग, सीएसआईआर बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली
- सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली
- 10. सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
- 11. सचिव, राजस्व विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
- 12. सचिव, औदयोगिक विकास विभाग, उदयोग भवन, नई दिल्ली
- 13. सचिव, रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली
- 14. सचिव, विधि कार्य विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

प्रतिलिपि प्रेषितः (i) आर्थिक सलाहकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

- (i) सचिव के प्रधान कार्मिक अधिकारी, कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- (ii) अपर सचिव के प्रधान निजी सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

प्रतिलिपि प्रेषितः निदेशक (ए.के.) - एमसीए वेबसाइट पर "कारपोरेट कार्य मंत्रालय की सितंबर, 2016 का मासिक सार" के अंतर्गत अपलोड करने के लिए

> (क्षितीश कुमार) भारत सरकार का अवर सचिव

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

सितंबर, 2016 माह के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीति-निर्णय और प्रमुख उपलब्धियां

(।) परिपत्रः-

सितंबर माह के दौरान कोई परिपत्र जारी नहीं किया गया था।

(I) अधिसूचनाएं -

- (i) मंत्रालय ने दिनांक 01.09.2016 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 2843(अ) द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत दो या अधिक वर्ष के कारावास से दंडित करने वाले अपराधों की तीव्र सुनवाई करने के लिए छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, मद्रास और मणिपुर के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की सहमति से कुछ नामित विशेष अदालतों को अधिसूचित किया है।
- (ii) मंत्रालय ने दिनांक 12.09.2016 की अधिसूचना सं. का.आ. 2922(अ) के द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के भाग-II, खंड-II, अनुसूची V में संशोधन किया है जो बिना लाभ या अपर्याप्त लाभ वाली कंपनियों द्वारा केंद्रीय सरकार के अनुमोदन के बिना प्रबंधकीय कार्मिकों को देय पारिश्रमिक से संबंधित है। इस संशोधन के माध्यम से ऐसे कंपनियों द्वारा अपने प्रबंधकीय कार्मिकों को देय पारिश्रमिक को दुगुना कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, किसी व्यवसायिक क्षमता से काम करने वाले प्रबंधकीय कार्मिकों को कुछ शर्तों पर बिना किसी सीमा के पारिश्रमिक दिए जाने की अनुमति दी गई है।
- (iii) मंत्रालय ने दिनांक 23.09.2016 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 908(अ) द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत रखे गए सदस्यों के रजिस्टर में उपलब्ध विवरण को प्ररूप सं. एमजीटी-1 में सदस्यों के नए रजिस्टर में स्थानांतिरत करने के प्रावधान के लिए कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 में संशोधन किया गया। उसके अतिरिक्त, प्रवर्तकों और शीर्ष दस शेयरधारकों की स्थिति में हुए परिवर्तनों को बताने के लिए सूचीबद्ध कंपनियों की बाध्यता के संबंध में स्पष्ट किया गया। अब अधिग्रहणकर्ताओं द्वारा एक असाधारण आम अधिवेशन राष्ट्रीय अवकाश को छोड़कर कभी किसी भी दिन बुलाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी और प्रत्येक ऐसी कंपनी जिसके [निधि कंपनियों और सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के अध्याय भ ब और भ ग में उल्लिखित कंपनियों को छोड़कर] सदस्यों की संख्या 1000 से कम नहीं है, को अपने सदस्यों को इलेक्ट्रानिक माध्यम से अपने वोट करने के अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा देना अपेक्षित है।
- (iv) दिनांक 9 सितंबर, 2016 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 442 के तहत कंपनी (मध्यस्थता एवं सुलह) नियम, 2016 जारी किए गए। इन नियमों में प्रादेशिक निदेशकों द्वारा मध्यस्थता और सुलह पैनल बनाने और उसका प्रबंधन करने तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के

तहत केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) या राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण (एनसीएलएटी) के समक्ष कार्रवाहियों के दौरान किसी स्तर पर मध्यस्थता सुलह करवाने हेतु जिस तरीके से मध्यस्थ और सुलहकर्ताओं का नियुक्ति की जाती है, उसका प्रावधान है।

- (v) दिनांक 9 सितंबर, 2016 को धारा 227, धारा 242 के भाग, धारा 246 और धारा 337 से 341 (धारा 246 की प्रयोज्यता में विस्तार करने के लिए) को दिनांक 9 सितंबर, 2016 से प्रवृत्त करने के लिए एक अधिसूचना जारी की गई थी। ये प्रावधान एनसीएलटी को कुछ अधिकार देने से संबंधित है, जिससे कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत इसके क्षेत्राधिकार में आने वाले मामलों पर अधिक प्रभावी ढंग से निर्णय लेने में समर्थ होगा। यह 1 जून, 2016 को प्रवृत्त हुआ।
- (vi) आईईपीएफ (लेखांकन, लेखापरीक्षा, हस्तांतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 सिहत धारा 124 (अदत्त लाभ लेखा) और धारा 125 का भाग (निवेशक शिक्षा और सुरक्षा (आईईपीएफ निधि) को दिनांक 7 सितंबर, 2016 को प्रवृत्त करने के लिए दिनांक 5 सितंबर, 2016 को एक अधिसूचना जारी की गई। प्रांसगिक नियमों सिहत इन प्रावधानों के प्रारंभ होने से कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान पात्र दावाकर्ताओं को आईईपीएफ से दावों का प्रतिदाय प्राप्त करने में सक्षम होंगे।